



संख्या- 5666 / जी0एस0(शिक्षा) / A15-101 / 2023

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टाउन (शीशमबाड़ा) सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 17 सितम्बर, 2026

महोदया,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 250725055535 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
बीहाईव कॉलेज ऑफ एडवान्स स्टडीज, देहरादून।	बी०पी०टी०	30	2024-25

(1) प्रस्ताव में प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण हैं। उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन दिनांक 21.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में लिया जा रहा है तथा इससे अग्रेत्तर प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 21.03.2026 की बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में ही विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व

विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 16-09-2026
15:13:33
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 5086 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A15-101/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. ✓ कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 16-09-2026
15:55:13
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।